तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.05.2025	अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) [illegible] जिला [illegible] एवं [illegible] जिला [illegible] महोदय [illegible] के आदेश से पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हो कर प्रस्तुत हुई। [illegible] प्रार्थी एवं [illegible] सरकार उपस्थित। [illegible] प्रार्थी एवं [illegible] सरकार के निवेदन पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली [illegible] बाद आवश्यक [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

सदस्य
[illegible]
राष्ट्रीय लोक अदालत
बेंच संख्या [illegible]

अध्यक्ष
सिविल न्यायाधीश
एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट [illegible]
राष्ट्रीय लोक अदालत
बेंच संख्या [illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या	43 / 2024	जी.सी.एम.एस. नम्बर	2024 / 33
दायर दिनांक	11.03.2024	निर्णय दिनांक	10.06.2025

1. रेवतराम चुतराराम जाति जाट निवासी कलाथल तहसील घंटियाली जिला फलोदी

प्रार्थी

बनाम

1. अर्जुनराम पुत्र मगनाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. चूनाराम पुत्र मगनाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. भाखरराम पुत्र मगनाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. हरलाल पुत्र काछबाराम फौत के कायम मुकाम

4/1 हड़मानराम पुत्र हरलाल जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तह. घंटियाली जिला फलोदी
4/2 नथाराम पुत्र हरलाल जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तह. घंटियाली जिला फलोदी
4/3 हरिराम पुत्र हरलाल जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तह. घंटियाली जिला फलोदी
4/4 मोहनी पत्नी हरलाल जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तह. घंटियाली जिला फलोदी

5. अर्जुनराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
6. ओमा पत्नी श्रवणकुमार जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
7. करनाराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
8. कसुम्बी पत्नी किसनाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
9. किसनाराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
10. गोमती पत्नी मनोहरराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
11. छोटी पत्नी रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
12. फरसाराम पुत्र ठाकराराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
13. बीदामी पत्नी मांगीलाल जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
14. माणकराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
15. शांति पत्नी जगदीश जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
16. हेमाराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
17. हीरा पत्नी सदासुख जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
18. ओमाराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी पाबुपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
19. कोजाराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी पाबुपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
20. बाबूराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी पाबुपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
21. रामचन्द्र पुत्र बीरूराम जाति विश्नोई निवासी पाबुपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

10/5/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

22. सन्ति पत्नी गोपाराम जाति विश्नोई निवासी पाबुपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
23. हरींगाराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी पाबुपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
24. पदमाराम पुत्र किसनाराम जाति जाट निवासी कलाथल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
25. मगीदेवी पत्नी किसनाराम जाति जाट निवासी कलाथल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
26. श्रवणकुमार पुत्र किसनाराम जाति जाट निवासी कलाथल तहसील घंटियाली जिला फलोदी
27. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 482/183 रकबा 6.1997 हैक्टेयर ग्राम कलाथल पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू—नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार घंटियाली द्वारा दिनांक 31.01.2024 को जारी आदेश कम संख्या 336 की पालना में दिनांक 06.02.2024 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थी तथा पड़ौसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 06.02.2024 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 26 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थी को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थी अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबंदी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 06.02.2024 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 27 पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 26 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

10/5/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कलाथल पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 482/183 रकबा 6.1997 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 06.02.2024 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कलाथल पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 482/183 रकबा 6.1997 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थी पैमाईश फर्द दिनांक 06.02.2024 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कलाथल पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 482/183 रकबा 6.1997 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गडढी मौका फर्द दिनांक 06.02.2024 अनुसार पडोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार घंटियाली उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)